

विश्वभारती  
शांतिनिकेतन

अधिसूचना

अधोहस्ताक्षरी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कहने का निदेश हुआ है कि भवन के प्रिंसिपल (स्कूल अनुभाग सहित) एवं निदेशक मुख्यालय छोड़ने से पहले कुलपति से अनुमति अवश्य लें। विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य भी मुख्यालय छोड़ने से पहले संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति अवश्य लें।

मेमो नं. आरईजी/सूचना/156/981

दिनांक : 27.07.2019

हस्ता/-

कुलसचिव (कार्यकारी)

विश्वभारती

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. भवनों के प्रिंसिपल/निदेशक
2. विश्वविद्यालय के सभी संकाय सदस्य
3. कुलपति के गोपनीय सचिव
4. कुलसचिव के निजी सहायक
5. विश्वविद्यालय वेबमास्टर - अनुरोध है कि अधिसूचना विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करें।